न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 235/2025(GCMS : 2025/365)

गुरपाल कौर पत्नी गुरबाज सिंह जाति जटसिख निवासी जीमयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **जीत सिंह** पुत्र श्री सजन सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.) **हाल आबाद** भागु तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. **जरनैल सिंह** पुत्र श्री साजन सिंह जाति जटसिख निवासी जमीयतसिंहवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.) **हाल आबाद** भागु तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
3. **रवि कुमार उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर** एवं पदेन सहायक कलक्टर, सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.12.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बत्तरा एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर से श्री सतीश गौसांई उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष चक 5 एसपीएम में भूमि का एक वाद विचाराधीन है। विवादित भूमि में से प्रार्थीया का 5/38 हिस्सा यानि 1.232 हैक्टेयर रकबा राजस्व रिकॉर्ड कें दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 12/19 हिस्सा यानि 5.912 हैक्टेयर रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिस पर अप्रार्थी, प्रार्थी को जबरन बेदखल करना चाहते है। इस दावा के साथ में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.09.2025 को प्रार्थीया के हक में स्थगन आदेश जारी कर दिनांक 24.10.2025 को तारीख पेशी मुकर्रर की गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 बहुत चुस्त व चालाक आदमी है तथा प्रभावशील है तथा राजनैतिक सम्बन्ध होने के कारण अधिकारी पर राजनीतिक प्रभाव डाल रखा है तथा उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश हुआ जो उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 24.0[illegible]2025 [illegible] प्रार्थीया का वकील तथा प्रार्थीया भी अन्य कार्य के लिए सादुलशहर आयी [illegible] कार्यालय में बुला लिया तथा कहा कि जिस रकबे में आपने स्थगन आदेश लिया हुआ है उसमें आज ही [illegible] सुनुंगा तथा आज ही निर्णय करूंगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:53:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मुंतकिली प्रार्थना पत्र 235/2025
(GCMS No. 2025/365)

उनका आगे यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी के रवैया से पता चल रहा था कि वह प्रार्थीया के साथ सही निर्णय नही करेगा तथा अप्रार्थी के प्रभाव में आ रखा है तथा प्रार्थी के साथ सही निर्णय होने की कतई उम्मीद नहीं है इसलिए उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी न्यायालय के बाहर बोलने लगा कि वह उपखण्ड अधिकारी से मिल चुका है, यह निर्णय उसके हक में ही होगा। इसी बात से प्रार्थी को पूरा अंदेशा है कि उपखण्ड अधिकारी गलत निर्णय करने पर उतारू है तथा सही इन्साफ नहीं करेगे। इसलिए इस अनवान् के प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके।

इसके विपरीत अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय के पास देखा गया है किन्तु प्रार्थी ने यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि उनके द्वारा **किस अप्रार्थी को तथा कब देखा** गया है। प्रार्थीगण प्रकरण को देरी करने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर प्रकरण पेश किया है। इसलिए यह मुंतकिली प्रार्थना खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.09.2025 को प्रकरण प्रस्तुत किया है तथा उनके स्वयं के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्थगन प्राप्त किया हुआ हैं प्रार्थी जीत सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक केवियेट अन्तर्गत धारा 148(क) सीपीसी का दिनांक 29.08.2025 को प्रस्तुत किया होने के बावजूद भी प्रार्थी को एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया है, इसके बावजूद भी प्रार्थी प्रकरण को मुंतकिल करवाना चाहता है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण कभी भी पीठासीन अधिकारी से नहीं मिले है। अप्रार्थीगण का पीठासीन अधिकारी पर कोई राजनैतिक प्रभाव नहीं है। प्रार्थी ने यह प्रकरण देरी करने के कारण ही पेश किया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुंतकिली खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने प्रार्थना पत्र पर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा प्रार्थी द्वारा लगाये गये सभी आरोप झूठे, निराधार और बेबुनियाद बताया है। फिर भी प्रार्थी का प्रकरण अन्य किसी सक्षम न्यायालय में मुन्तकिली किया जाता है उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:53:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, **अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी** एवं पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायलाय में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण पेश किया हुआ है। **धारा 212 आरटीए में प्रार्थी ने एकपक्षीय स्थगन प्राप्त किया हुआ है और अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।** उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी में द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। इस न्यायालय को धारा 212 आरटीए के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है, अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

प्रार्थिया गुरपाल कौर द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने के कारण उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। प्रार्थी द्वारा यह आरोप केवल मात्र कयास के आधार पर लगाया है। अगर वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने सम्बन्धी कथन, यदि तर्क के लिए मान भी लिया जावे तो ऐसा प्रभाव होने सम्बन्धी आरोप जिले के अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारियों पर भी लगाया जा है। मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है। बिना किसी पुष्ट साक्ष्य के अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद को किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निणर्य की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:53:13 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर